ITBP

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1023] नई दिल्ली, शनिवार, मई 28, 2011/ज्येष्ठ 7, 1933

No. 1023] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28, 2011/JYAISTHA 7, 1933

## गृह मंत्रालय

### आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2011

**का.आ. 1224(अ).**—जबकि केन्द्र सरकार का यह मत है कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 154 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए बल के हैड-कांस्टेबल या इससे उपर की रैंक का सदस्य; विदेशी अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 11 के अध्यधीन शक्तियों का प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन कर सकेगा ।

अत: अब, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 154 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार निदेश देती है कि इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा बल के हैड-कांस्टेबल या इससे उपर की रैंक का सदस्य; जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा सिक्किम राज्यों के सीमांत जिलों के क्षेत्रों की स्थानीय सीमा के अंदर, विदेशी अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 11 के अध्यधीन शक्तियों का प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन कर सकता है ।

[फा. सं. 25022/26/2010. एफ-I]

जी. वी. वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### ORDER

New Delhi, the 27th May, 2011

**S. O. 1224(E).**—Whereas the Central Government is of the opinion that, for the purpose specified in sub-section (1) of Section 154 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), a member of the Force of the rank of a Head Constable and above should be empowered to exercise the powers and discharge the duties under section 11 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 154 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby directs that, for the purposes of that sub-section, a member of the Indo-Tibetan Border Police Force of the rank of a Head Constable and above may, within the local limits of the area comprised in the border districts of the States of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Sikkim, exercise the powers and discharge the duties under Section 11 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946).

[F. No. 25022/26/2010.F-I]

G. V. V. SARMA Jt. Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2011

**का.आ. 1225(अ).**—जबकि केन्द्र सरकार का यह मत है कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 154 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए बल के उप-निरीक्षक या इससे उपर की रैंक का सदस्य; पारपत्र (भारत में

आगमन) अधिनियम, 1920 (1920 का 34) की धारा 4 के अध्यधीन शक्तियों का प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन कर सकेगा ।

अत: अब, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 154 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार निदेश देती है कि इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा बल के उप-निरीक्षक या इससे उपर की रैंक का सदस्य; जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा सिक्किम राज्यों के सीमांत जिलों के क्षेत्रों की स्थानीय सीमा के अंदर, पारपत्र (भारत में आगमन) अधिनियम, 1920 (1920 का 34) की धारा 4 के अध्यधीन शक्तियों का प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन कर सकता है ।

[फा. सं. 25022/26/2010. एफ-I]

जी. वी. वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 27th May, 2011

**S. O. 1225(E).**—Whereas the Central Government is of the opinion that, for the purpose specified in sub-section (1) of Section 154 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), a member of the Force of the rank of a Sub-Inspector and above should be empowered to exercise the powers and discharge the duties under Section 4 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 (34 of 1920).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 154 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992) the Central Government hereby directs that, for the purposes of that sub-section, a member of the Indo-Tibetan Border Police Force of the rank of a Sub-Inspector and above may, within the local limits of the area comprised in the border districts of the States of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Sikkim, exercise the powers and discharge the duties under Section 4 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 (34 of 1920).

[F. No. 25022/26/2010.F-I]

G., V. V. SARMA Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.